निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 भाद्र 1934 (श0)
(सं0 पटना 444) पटना, वृहस्पतिवार, 30 अगस्त 2012

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

30 अगस्त 2012

सं0 एल0जी0-1-09/2012/लेज: 380—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 अगस्त, 2012 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 17, 2012]

बिहार लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) अधिनियम, 2012

बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**—(1) यह अधिनियम बिहार लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा–6 का संशोधन।**—

(i) उक्त अधिनियम, 1956 की धारा–6 की उप–धारा–(1) का खंड–(ग) विलोपित किया जाएगा।

(ii) उक्त अधिनियम, 1956 की धारा–6 की उप–धारा–(2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी :—

'' (2) यदि कोई व्यक्ति समाहर्त्ता द्वारा इस धारा के अधीन पारित आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो वह उस कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष तक विस्तारित की जा सकेगी, अथवा रू0 20,000/–(बीस हजार) तक जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा। ''

3. व्यावृत्ति ।— बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 (बिहार अधिनियम XV, 1956) की धारा–6(1) (ग) के विलोपित होते हुए भी, धारा–6(1) (ग) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी, मानों उस दिन उक्त प्रावधान प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

30 अगस्त 2012

सं0 एल0जी0-1-09/2012/लेज: 381—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2012 को अनुमत बिहार लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) अधिनियम, 2012 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समक्षा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

[Bihar Act 17, 2012]

The Bihar Public Land Encroachment (Amendment) Act, 2012

AN

ACT

To amend the Bihar Public Land Encroachment Act, 1956

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty-third year of the Republic of India as the following:-

1. **Short Title, Extent and Commencement. —**(1) This Act may be called The Bihar Public Land Encroachment (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. **Amendment in Section-6 of the Bihar Public Land Encroachment Act, 1956.—**

(i) Clause (C) of Sub-Section-(1) of Section-6 of the said Act, 1956 shall be deleted.

(ii) Sub-section (2) of Section-6 of The Bihar Public Land Encroachment Act, 1956 shall be substituted by the following :-

"(2) If any person does not comply with the orders passed by the Collector under this section, he shall be punishable with imprisonment for a term, which may extend to one year or with fine up to Rs. 20,000/-(twenty thousand) or with both."

3. **Savings** .—Notwithstanding the deletion of Section-6(1) (c) of the Bihar Public Land Encroachment Act, 1956 (Bihar Act XV, 1956) any thing done or any action taken in exercise of the powers conferred by or under the Section-6(1) (c) shall be deemed to have been done or taken in exercise of powers conferred by or under this Act, as if the said provisions were in force on the day on which such thing or action was done or taken.

By order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 444-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in